Email/Speed Post/By Hand

शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून–248001
E mail – info.udduk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2749541, फैक्स. 0135.–2749542

पत्रांकः–110/748/SBM/SWM/NGT/2019–20 देहरादूनः दिनांक :– 21 मई, 2020

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अपर महा अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–144, वर्ष 2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 18–03–2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 18–03–2020, जो कि नगर निगम कोटद्वार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किए जाने तथा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने आदेशित किया गया है।

2– उक्त के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही शहरी विकास निदेशालय के पत्रांक संख्या – 1665/748/एस0बी0एम0/ एस0डब्ल्यु0एम0/एन0जी0टी0/ 2019–20 दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार को निर्गत किए गए। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांकः18–03–2020 के क्रम में नगर निगम कोटद्वार के पत्रांक 102/मा0एन0जी0टी0/2020–21, दिनांक 20 मई 2020(संलग्नक–1) के द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है।

3– शहरी विकास विभाग के स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा लिगेसी वेस्ट निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाहियों के संबंध में अनुपालन आख्या तैयार की गई है। उपरोक्त अनुपालन आख्या मय (संलग्नक–2)संलग्नकों सहित आपकी सेवा में इस अनुरोध से प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष निर्धारित तिथि दिनांक – 22 मई 2020 को प्रस्तुत किए जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस अनुरोध से प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार नगर निगम, कोटद्वार से अनुपालन कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार।
5– रजिस्ट्रार, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांकः 18–03–2020 के क्रम में सादर प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन))
निदेशक।

Scanned by CamScanner

Email/Speed Post/By Hand

शहरी विकास निदेशालय,उत्तराखण्ड।

31/62, राजपुर रोड,, देहरादून–248001

E mail – info.udduk@gmail.com, दूरभाष – 0135–2749541, फैक्स. 0135.–2749542

पत्रांकः–110/748/SBM/SWM/NGT/2019–20 देहरादूनः दिनांक :– 21 मई, 2020

सेवा में,

श्री राहुल वर्मा,
अपर महा अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0,
नई दिल्ली।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–144, वर्ष 2019, अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत निर्गत आदेश दिनांक 18–03–2020 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 18–03–2020, जो कि नगर निगम कोटद्वार के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर निगम कोटद्वार के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही किए जाने तथा लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने आदेशित किया गया है।

2– उक्त के संबंध में एक विस्तृत दिशा निर्देश पूर्व में ही शहरी विकास निदेशालय के पत्रांक संख्या – 1665/748/एस0बी0एम0/ एस0डब्ल्यु0एम0/एन0जी0टी0/ 2019–20 दिनांक 24 जुलाई 2019 के द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार को निर्गत किए गए। मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांकः18–03–2020 के क्रम में नगर निगम कोटद्वार के पत्रांक 102/मा0एन0जी0टी0/2020–21, दिनांक 20 मई 2020(संलग्नक–1) के द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है।

3– शहरी विकास विभाग के स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा लिगेसी वेस्ट निस्तारण के संबंध में की गई कार्यवाहियों के संबंध में अनुपालन आख्या तैयार की गई है। उपरोक्त अनुपालन आख्या मय (संलग्नक–2)संलग्नकों सहित आपकी सेवा में इस अनुरोध से प्रेषित है कि मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष निर्धारित तिथि दिनांक – 22 मई 2020 को प्रस्तुत किए जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3– जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस अनुरोध से प्रेषित कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार नगर निगम, कोटद्वार से अनुपालन कराये जाने हेतु अपने स्तर से भी अनुश्रवण किये जाने का कष्ट करें।
4– नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार।
5– रजिस्ट्रार, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांकः 18–03–2020 के क्रम में सादर प्रेषित।

(विनोद कुमार सुमन))
निदेशक।

Scanned by CamScanner

।। कार्यालय–नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)।।

पत्रांकः– 102 /मा0एन0जी0टी0/2020–21 दिनांकः–20.05.2020

मा0 एन0जी0टी0 में ओ0ए0नं0–144/2019 श्री अरविन्द बनियाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में पारित आदेश दिनांक–18.03.2020 की Action Taken Report

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0नं0–144/2019 में पर्यावरण अधिनियम–1988 की धारा–5 के तहत पारित आदेश दिनांक 18.03.2020 पर नगर निगम कोटद्वार द्वारा वर्तमान तक की गयी कार्यवाही एवं गतिमान कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्नवत् हैः–

1. यह कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा रतनपुर कोटद्वार खो नदी के किनारें कूड़े की डम्पिंग तत्काल बन्द करने के आदेश किये गये है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम कोटद्वार की सीमाऐं चारों ओर से आरक्षित वन क्षेत्र से लगी है, साथ ही नगर निगम क्षेत्र से 3 नदियॉं (खो, सुखरौ व मालन) गुजरती है। नगर निगम क्षेत्र घनी आबादी क्षेत्र है एवं वर्तमान में इसकी जनसंख्या लगभग 2 लाख हो चुकी है। चारों ओर से आरक्षित वन क्षेत्र एवं नदियों से घिरा होनें के कारण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट हेतु भूमि उपलब्ध नही हो पा रही है। नगर निगम कोटद्वार द्वारा कूड़ा निस्तारण के लिये कोई उचित स्थान नही होनें के कारण उत्पन्न कठिनाई के समाधान हेतु वन विभाग से 01 हैक्टेयर भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्लांट के लिये उपलब्ध करानें हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। **(संलग्नक–1)** साथ ही औद्योगिक क्षेत्र सिगडडी से लगती मौजा जयदेवपुर हल्दूखाता के खाता संख्या–34 की श्रेणी 5(3)–ड/अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि रक्वा 11.6590 हैक्टेयर में से दो हैक्टेयर बंजर भूमि लीज अथवा हस्तान्तरित करने हेतु महाप्रबन्धक, सिड़कुल, देहरादून को मांग प्रेषित की गई है। जिसके कम में जिलाधिकारी गढ़वाल द्वारा पत्र संख्या–297/8–एल0ए0सी0/2019–20 दिनांक 19 नवम्बर, 2019 पत्रालेख किया गया है, पुनः उक्त सम्बन्ध में जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय को अनुस्मारक हेतु अनुरोध किया गया है। **(संलग्नक–2)** भूमि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु भूमि उपलब्ध न होनें के कारण वर्तमान में संचालित ट्रैचिंग ग्राउण्ड को तत्काल बन्द किया जाना सम्भव नही है। भूमि उपलब्ध होतें ही नगर निगम कोटद्वार द्वारा उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड को बन्द कर दिया जायेगा।

2. वर्तमान में किसी भी प्रकार का कूड़ा अथवा गन्दे पानी का रिसाव खो नदी में नही हो रहा है। नगर निगम कोटद्वार द्वारा नियमित रूप से वर्तमान ट्रैचिंग ग्राउण्ड में कीटनाशक आदि का छिडकाव किया जा रहा है। नगर निगम कोटद्वार ने कूड़े के प्रभाव से नदी को प्रदूषण मुक्त रखनें हेतु नदी किनारें सुरक्षा दीवार बनाई गई है। जिससे कि कूड़ा बरसात में भी नदी के पानी को
प्रभावित/दूषित न कर सकें। वर्तमान में डम्प किये गये कूड़े को हटानें हेतु नगर निगम द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही इसको हटानें की व्यवस्था की जा रही है।

3 नगर निगम कोटद्वार द्वारा वैज्ञानिक तरीकें से कूडा निस्तारण की समुचित व्यवस्था हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की डी0पी0आर0 गठित कर स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित कर दी गयी है।

4 नगर निगम द्वारा वर्तमान में संचालित ट्रैचिंग ग्राउण्ड में नियमित रूप से ब्लीचिंग एवं कीटाणुनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा प्रत्येक माह में 2 बार 150 किलोग्राम ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है। इसके अतिरिक्त सप्ताह में 2 बार स्प्रें मशीन द्वारा कीटनाशक (मैलाथीओन) का छिड़काव किया जाता है, ताकि आसपास के क्षेत्रों में कूडें के कारण दुर्गंध न फैलनें पायें। इसके अतिरिक्त वर्तमान में (कोविड–19) संक्रमण के दृष्टिगत 1000 लीटर सोडियम हाईपोक्लोराइट का छिडकाव भी ट्रैचिंग ग्राउण्ड में किया गया है।

Scanned by CamScanner

निगम क्षेत्रान्तर्गत ट्रैचिंग ग्राउण्ड में गर्मी के मौसम में लगनें वाली आग पर नियंत्रण हेतु ट्यूबवैल से 2 इंची पाईप लाईन का कनेक्शन लिया गया है। जिससे की गर्मी में लगने वाली आग पर तत्काल नियंत्रण किया जा सकें एवं आम जनमानस के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

6 नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी 40 वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़े का कलेक्शन किया जा रहा है। लगभग 40 प्रतिशत घरों से जैविक/अजैविक कूडे को एकत्र किया जा रहा है। निगम क्षेत्रान्तर्गत पर्यावरण मित्रों की कमी को देखते हुये माह जनवरी, 2020 से 32 पर्यावरण मित्रों को आउटसोर्स के माध्यम से सफाई कार्य हेतु तैनात किया गया हैं। ट्रैचिंग ग्राउण्ड का भार कम करने हेतु पर्यावरण मित्रों के माध्यम से सोर्स सेग्रीगेशन के प्रति जन–जागरूकता हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।

7 नगर निगम द्वारा पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद क्षेत्र में डोर–टू–डोर कूड़ा कलेक्शन सेग्रीगेशन एवं कम्पोस्टिंग का कार्य मैसर्स्स जीरो वेस्ट इनकारपोरेशन, मुनिकीरेती को दिया गया है। ट्रैचिंग ग्राउण्ड में 40 कम्पोस्ट पिट निर्मित है। जिनमें सेग्रीगेशन के उपरान्त कूड़े की कम्पोस्टिंग की जाती है। कम्पोस्ट के विकय से वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निगम को रू0 1,66,115 की आय प्राप्त हुयी है।

8 नगर निगम बोर्ड प्रस्ताव संख्या–10 के द्वारा आम नागरिकों के प्रयोग हेतु 10 बड़े डस्टबीन जैविक/अजैविक कूडें हेतु भीड–भाड़ वालें स्थानों पर लगाये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि सेग्रीगेशन के उपरान्त वर्तमान ट्रैचिंग ग्राउण्ड के भार को कम किया जा सकें।

9 नगर निगम द्वारा ट्रैचिंग ग्राउण्ड में डम्प कूडें के सेग्रीगेशन हेतु बायोरेमीडेशन (Bioremediation) वेस्ट क्लीनिंग मशीन अगलें 3 सप्ताह के भीतर स्थापित कर ली जायेगी, जिससे वेस्ट का सेग्रीगेशन कर अजैविक कूड़े को रिसाईक्लीनिंग करने हेतु भेजा जायेगा एवं जैविक कूड़े का प्रयोग खाद एवं Low land filling हेतु किया जायेगा जिससे ट्रैचिंग ग्राउण्ड में आने वाले कूड़े से प्रतिदिन लगभग 25 मीट्रिक टन बेस्ट का निस्तारण किया जायेगा।

कृपया Action Taken Report सादर अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

(योगेश सिंह मेहरा)
नगर आयुक्त
नगर निगम कोटद्वार।

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, 31/62 राजपुर रोड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 46–बी0 आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
4. जिलाधिकारी महोदय, पौड़ी गढ़वाल।

नगर आयुक्त
नगर निगम कोटद्वार।

Scanned by CamScanner

Dt: 20-5-2020

Urban Development Department, Uttarakhand

Before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi

Original Application No. 144/ 2019 (Arvind Baniyal vs. State of Uttarakhand)

Status/ Compliance Report of Legacy Waste in Kotdwar, Uttarakhand

(A)- As per the provisions of SWM Rules 2016 and orders of Hon'ble NGT, following DPRs has been prepared and process initiated for executions.

(B)- Details of SWM, Legacy Waste, treatment and Disposal:

Sr. No.	Subject	Compliance/ Status Report, Name of the ULB/ Quantity/ Cost of DPR in Cr.		
1	Legacy Waste DPRs prepared, Quantity and Cost	**Name of ULB**	**Quantity in Cu.mt. in Lacs**	**DPR Cost in Cr.**
		Nagar Nigam, Roorkee	1.61	10.91
		NN, Haldwani	2.60	18.26
		NN, Dehradun	6.24	27.95
		NN, Haridwar	2.83	19.66
		NN, Haridwar	2.50	6.96
		NN, Kashipur	1.03	7.68
		NN, Rishikesh	2.72	18.92
		NPP, Srinagar	0.14	.91
		NN, Kotdwar	0.12	.84
		NN, Rudrapur	0.43	3.84
			20.22	115.93
2	Status/ Compliance	1- Bio remediation Machine has been procured and is functional in Srianagar, Munikireti. 2- Tender Process initiated in Doiwala for the above machine. 3- As per report of NN Kotdwar, within 3 weeks above machine shall be procured. 4- In NN Rudrapur, tender process complete, Work Order issued on 1089, Dt 26-2-2020.		
3	Policy decision at state level for different ULBs related to Legacy Waste treatment and disposal	Meeting held in Chairmanship of Secretary Urban Development, Uttarakhand and directions issued vide Letter No. 388/ IV(3)-2020- 12 (8 SWM) 19, Dt 20-2-2020. **(Annexure -3)** Following decisions were taken: 1- Legacy Waste dump site of Dehradun shall be remediated/ treated with the Financial		

Scanned by CamScanner

		and Technical support of UUSDA (ADB Funded Project) of Urban Development. 2- Directions issued to ULB Rishikesh, Roorkee, Doiwala, Rudrapur to treat their legacy waste. Note: UUSDA- Uttarakhand Urban Sector Development Agency; ADB- Asian Development Bank
4	Status of SWM in Uttarakahnd, Urban	1- Out of 1170 total wards in all the ULBs of Uttarakhand, Door to Door collection is being done in all 1170 wards. 2- In 683 wards source segregation has been started. 3- Till date 797 MTPD (49% of the total waste generated) is being treated every day against the total generation of 1616 MTPD. 4- Total 28 Plastic Compactors have been installed/ Commissioned and 20 more are in process by which whole state will be covered, by using themrecyclables/ plastic/ card board bales making is being done. 5- 33 DPRs covering **43 ULBs** have been approved by GoI. 3 DPRs/ **3 ULBs** sent to GoI for approval. 6- 28 DPRs covering **44 ULBs** prepared and they are at different stages of approval. Only one DPR of newly created ULB (Chaukhutiya) is under preparation. 7- As per above details all ULBs (90 ULBs) DPRs are prepared and only one is balance. 8- Strict directions have been issued to all the ULBs for complete compliance of SWM Rules 2016. 9- Orders have been issued for complete ban of open burning of waste. 10- As per Anti Littering and Anti Spitting Act 2016 and plastic ban fines are being imposed on violators. Total challanes 693 with fine amount of Rs. 7.54 Lacs from Jan to April 2020.

24/17
SE. UDD

Scanned by CamScanner

आज्ञ प्राप्ति
दिनांक 27/02/2020
प्राप्तकर्ता
शहरी विकास निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुपालन में नगरीय लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06–02–2020 को अपराह्न 5.00 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त :–

उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1– श्री चन्द्रेश कुमार, अपर सचिव/कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
2– श्री विनय शंकर पाण्डेय, नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
3– श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव/निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
4– श्री नरेन्द्र कुमार क्वीरियाल, नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश।
5– श्रीमती नूपुर वर्मा, नगर आयुक्त, नगर निगम, रुड़की।
6– डॉ0 कैलाश चन्द्र जोशी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
7– श्री नीरज जोशी, उप निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
8– श्री विनय मिश्रा, उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड।
9– श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड।
10– श्री उत्तम सिंह नेगी, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
11– श्री चन्द्रकान्त भट्ट, सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
12– श्री आनन्द सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियन्ता, नगर निगम, ऋषिकेश।
13– श्री रमेश सिंह रावत, कर अधीक्षक, नगर निगम, ऋषिकेश।
14– श्री शशि पंवार, सफाई निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, श्रीनगर।
15– श्री रवि शंकर बिष्ट, राज्य मिशन मैनेजर, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
16– श्री कमल भट्ट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं आई0ई0सी0 विशेषज्ञ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)।
17– श्री सचिन नगरकर, तकनीकी विशेषज्ञ, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग।

सर्वप्रथम बैठक में प्रतिभाग कर रहे सभी अधिकारियों का निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा स्वागत किया गया। अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय द्वारा लीगैसी वेस्ट के प्रसंस्करण एवं निस्तारण के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि शहरी विकास निदेशालय के अनुरोध पर यू0यू0एस0डी0ए0 के निर्देशों के कम में डी0एस0सी0–1/टी0सी0ई0, यू0यू0एस0डी0ए0 के द्वारा नगर निगम, रुड़की, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, ऋषिकेश एवं नगर पालिका परिषद, श्रीनगर के लीगैसी वेस्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण हेतु कुल धनराशि रु0 109.74 करोड की डी0पी0आर0 तैयार कर निदेशालय को प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया गया है। लीगैसी वेस्ट/ठोस अपशिष्ट के पुराने डम्प साईट के सम्बन्ध में निम्नानुसार विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये :–

1– लीगैसी वेस्ट/डम्प साइट, सहस्रधारा रोड़, देहरादून के कैरेटराइजेशन का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार डी कम्पोस्ड/इनर्ट वेस्ट लगभग 48.24 प्रतिशत तथा सैन्ड/सिल्ट/स्टोन/ब्रिक्स 4.42 प्रतिशत हैं। निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में कहा गया

...2

Scanned by CamScanner

कि इस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि कम से कम लागत में उक्त कार्य को सम्पन्न कराया जा सके।

2– निदेशालय स्तर से पूर्व में लीगैसी वेस्ट के निस्तारण एवं प्रसंस्करण के सम्बन्ध में ई0ओ0आई0/अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गयी थी, जिसके क्रम में 13 विभिन्न फर्मो द्वारा इससे सम्बन्धित अभिलेख व विवरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के अन्तर्गत अवगत कराया गया कि 13 में 07 फर्मों के स्तर पर ही लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में वर्तमान तक अनुभव प्राप्त है तथा उनके द्वारा देश के विभिन्न नगरों में विभिन्न स्तरों पर बायो माइनिंग/लीगैसी वेस्ट निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी है। किसी भी फर्म द्वारा यह कार्य किस प्रकार, किस अनुबन्ध के माध्यम से, किस दर पर किया गया है, से सम्बन्धित कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3– निदेशालय स्तर से एक समिति गठित कर इन्दौर व नागपुर नगरों में लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षण किया गया, समिति के अन्तर्गत नगर निगम, ऋषिकेश, नगर निगम, देहरादून, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा शहरी विकास निदेशालय के अधिकारी सम्मिलित थे। समिति द्वारा दी गयी रिपोर्ट के क्रम में बैठक के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत किया गया। अवगत कराया गया कि नगर निगम, इन्दौर द्वारा (नेट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार) 13 लाख मीटरिक टन लीगैसी वेस्ट का निस्तारण रु0 10.00 करोड़ में लगभग एक वर्ष में पूर्ण किया गया, जिसके अनुसार प्रति मीट्रिक टन लागत रु0 76.92 आंकलित होती है। इन्दौर से प्राप्त विवरण के अनुसार लीगैसी वेस्ट के पृथक्कीकरण हेतु ट्रामिल व कनवेयर बेल्ट किराये पर ली गयी जबकि जे0सी0बी0, डम्पर, ट्रक, मजदूर मद पर व्यय नगर निगम, इन्दौर द्वारा वहन किया गया। स्थल का फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार स्थल पर मुख्य मार्ग के किनारे एक बड़ा ढ़ेर पाया गया है, जिस पर वर्तमान में मिट्टी/बायो सायल आदि डालकर प्लान्टेशन कर दिया गया है। पर्यावरणीय सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई अभिलेख नगर निगम, इन्दौर स्तर से प्राप्त नहीं हो सके हैं। उक्त के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून द्वारा भी पुष्टि की गयी कि इसी प्रकार के तथ्य उनके संज्ञान में भी आये हैं।

4– नगर निगम, नागपुर द्वारा जिग्मा फर्म के माध्यम से 10 लाख मीटरिक टन लीगैसी वेस्ट का प्रसंस्करण एवं निस्तारण 1.5 वर्ष में रु0 1050 प्रति मीट्रिक टन के आधार पर लगभग रु0 105.20 करोड़ में किया जा रहा है। उक्त कार्य के अन्तर्गत फर्म द्वारा पूर्ण प्लान्ट लगाया गया है, जे0सी0बी0, डम्पर, मजदूर आदि का पूर्ण व्यय भी फर्म द्वारा ही वहन किया जा रहा है। निविदा के अन्तर्गत स्थल को लीगैसी वेस्ट से पूर्णतया खाली कराकर समतल कर नगर निगम, नागपुर को उपलब्ध कराया जा रहा है। फर्म द्वारा लीगैसी वेस्ट को इनर्ट, प्लास्टिक, आर0डी0एफ0, मैटल, ग्लास आदि में पृथक–पृथक कर अपने स्तर से ही निस्तारित किया जा रहा है। निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्लान्ट का रख रखाव उच्च स्तर का पाया गया है।

5– निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि लीगैसी वेस्ट/पुराने नगरीय डम्प साइट के निस्तारण हेतु

....3

Scanned by CamScanner

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माह फरवरी, 2019 में गाइडलाइंस निर्गत की गयी हैं, जिसके प्रस्तर–5 के अनुसार स्थल पर बायो रिमिडियेशन व बायो माइंनिग सहित दर रु0 400 से रु0 700 प्रति घन मीटर है। लीगैसी वेस्ट को बायो सोयल/इनर्ट/कम्पोस्ट/रिसाइकलेबल/आर0डी0एफ0 में पृथक–पृथक किया जाना प्राविधानित है।

6– अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के निर्देशों के क्रम में न्यायाधीश श्री यू0सी0 ध्यानी की अध्यक्षता में गठित मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा भी लीगैसी वेस्ट/पुराने डम्प साइट के अन्तर्गत विभिन्न नगरों हरिद्वार, मुनिकीरेती, श्रीनगर, रामनगर काशीपुर, रूद्रपुर के लीगैसी वेस्ट को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, रुड़की, हल्द्वानी, रुद्रपुर के लीगैसी वेस्ट का निस्तारण भी प्राथमिकता पर किया जाना आवश्यक है। अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 के स्तर से भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों के अनुसार लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु निरन्तर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

7– विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

7.1 देहरादून के सहस्त्रधारा डांडा लखोण्ड, देहरादून स्थित लीगैसी वेस्ट का निस्तारण ए0डी0बी0 सहायतित परियोजना, यू0यू0एस0डी0ए0 के माध्यम से वित्त पोषित कर कराये जाने का निर्णय लिया गया। उप कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि देहरादून ए0डी0बी0 सहायतित नगर की श्रेणी में आता है तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा पी0आई0यू0 गठित किये जाने एवं इस पर आने वाला व्यय यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा वहन किया जाना अनुमन्य है। कार्यकम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्तावित योजना को ए0डी0बी0 द्वारा निर्धारित स्टैण्डर्ड बिडिग डाक्यूमेन्ट के प्राविधानों के अनुसार क्रियान्वित कराया जाना होगा तथा नियमानुसार यथाआवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाहियां नगर निगम, देहरादून द्वारा सम्पन्न कराई जानी होंगी।

7.2 नगर निगम, देहरादून के लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के संबंध में विचार–विमर्श उपरान्त नगर निगम देहरादून हेतु प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन हेतु एक सलाहकार समिति का गठन किया जाना निर्धारित किया गया, जिसके अनुमोदन उपरान्त विभिन्न कार्यवाहियां जैसे–योजना की स्वीकृति, यथा आवश्यकता पर्यावरणीय स्वीकृति, कार्य का अनुश्रवण इत्यादि कार्यवाहियां सम्पन्न की जायेंगी। सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार उक्त सलाहकार समिति के निम्नानुसार सदस्य नामित किये गये–

क– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

ख– सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी।

ग– अधीक्षण अभियन्ता/नोडल अधिकारी, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना, शहरी विकास निदेशालय।

.....4

Scanned by CamScanner

घ– पर्यावरण अभियन्ता/नगर आयुक्त द्वारा नामित विशेषज्ञ।

7.3 यह भी निर्णय लिया गया कि टी0सी0ई0/डी0एस0सी0–1, यू0 यू0 एस0 डी0 ए0 द्वारा तैयार डी0पी0आर0 की एक प्रति नगर निगम, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय, ताकि नगर निगम स्तर से योजना का परीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

8– नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा अवगत कराया गया कि ऋषिकेश नगर के अन्तर्गत ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर शहर के बीचोंबीच लीगैसी वेस्ट का एक बडा ढेर स्थित है, जिसे हटाये जाने हेतु जन–सामान्य द्वारा भी बार–बार अनुरोध किया जाता है तथा पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी इसे शीघ्र हटाया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि कुल मात्रा 271919 घन मी0 को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करने के उद्देश्य से मुनिकीरेती व श्रीनगर में प्रयोग में लाई जा रही लीगैसी वेस्ट पृथक्कीकरण एवं निस्तारण की क्रियाशील मशीन की परफॉरमेंस एवं उपयोगिता से सहमति की दशा में एक अथवा अधिक मशीन क्रय कर लीगैसी वेस्ट का निस्तारण अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। लीगैसी वेस्ट के निस्तारण/पृथक्कीकरण से इनर्ट व प्लास्टिक/आर0डी0एफ0 पृथक–पृथक होना निर्धारित है। नगर आयुक्त, नगर निगम, ऋषिकेश को निर्देशित किया गया कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय राजमार्ग/एन0एच0ए0आई0 के प्रभारी अधिकारी से समन्वय कर इनर्ट के निस्तारण/भरान के सम्बन्ध में उनसे विचार–विमर्श कर तथा एन0एच0ए0आई0 की सहमति प्राप्त किए जाने हेतु प्राथमिकता पर कार्यवाही करें। इसी प्रकार की कार्यवाही परियोजना प्रबन्धक, रेलवे परियोजना, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग से समन्वय कर की जाय। उक्त के अतिरिक्त लीगेसी वेस्ट मशीन के प्रयोग से निकलने वाले आर0डी0एफ0 के निस्तारण के सम्बन्ध में भी नियोजित प्रयास प्रारम्भ कर दिए जाय।

9– उपरोक्त की भांति नगर निगम, हरिद्वार, नगर निगम, रुड़की व नगर पालिका परिषद, डोईवाला द्वारा भी मुनिकीरेती में प्रयोग में लाई जा रही लीगैसी वेस्ट निस्तारण मशीन का परीक्षण कर तथा स्थानीय अनुकूलता उपरांत तत्काल लीगेसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। अवगत कराया गया कि नगर निगम, रुद्रपुर द्वारा लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित की है। निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य को नियमानुसार नगर निगम, रुद्रपुर तत्काल औपचारिकतायें पूर्ण कर शीघ्र सम्पन्न कराये अन्यथा लीगैसी वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में श्रीनगर व मुनिकीरेती में प्रयोग में लाई जा रही मशीन अथवा समकक्ष व्यवस्था के सम्बन्ध में परीक्षण कर स्थानीय अनुकूलता के अनुसार प्राथमिकता पर कार्यवाही की जाय।

अंत में उपस्थित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

.....5

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग–03

संख्या –388/IV(3)–2020–12(8 SWM)19

देहरादूनः दिनांक–20 फरवरी, 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/हरिद्वार/रूड़की/काशीपुर/हल्द्वानी/रूद्रपुर/ऋषिकेश/कोटद्वार। द्वारा निदेशक
5. समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड। - द्वारा निदेशक
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)

अनु सचिव।

Scanned by CamScanner